FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

सूबाराम बगै. बनाम ओमप्रकाश बगै.

मुकदमा नं. F.T.-01/2019 सन् 2019

मौजा – पोसाणा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
20.08.19	वकील वादीगण श्री कजवाती लाल जांगू ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 26/08/19 को पेश हो।	117-147 / 20/8/19
26.08.19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप.। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 31 की तलबी सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक तामील उक्त प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः प्रतिवादीगण सं. 1 ता 31 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस एवं साक्ष्य वादी मिसल दिनांक 30/08/19 को पेश हो।	
30.08.19	वकील वादीगण उप.। वकील वादीगण ने शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षण PW1, PW2, PW3, PW4 पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में वकील वादीगण की	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	एक पक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते आदेशार्थ मिसल अहिल्या दिनांक 03/09/19 को पेश हो।
03/09/19	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में वकील वादीगण की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, मूल्य पत्रिका बाबत पेश किये शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा पृथक से विस्तृत निर्णय लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 03/09/19 सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) [illegible]

निर्णय

दिनांक : 03/09/19

उपस्थिति : श्री बनवारी लाल जांगू एड० (वादीगण की ओर से)

संक्षेप में वादीगण के वादपत्र के कथन निम्नानुसार हैं कि राजस्व ग्राम उदयपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज० के कृषि भूमि पुराने ख० नं० 13 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, 26 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा, 17 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा जिसके नवीन सेटलमेंट में नवीन ख० नं० 25 रकबा 1.88 है०, 31 रकबा 4.27 है०, 60 रकबा 2.40 है०, 61 रकबा 0.02 है०, 62 रकबा 0.84 है० हैं। जिसके वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज खातेदारी कतई गलत हैं। उक्त वर्णित में से पुराने ख० नं० 13, 17 जिसके नवीन सेटलमेंट में नवीन ख० नं० 25, 61, 62 पर वादीगण वक्त बुजुर्गान के समय से अर्थात प्रथम सेटलमेंट के पूर्व से बेहसियत कानूनन खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित भूमियां वादीगण की पैतृक भूमियां हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के हैं एक ही मौरूस आला हनुता के वारिसान हैं। उक्त वर्णित भूमियों के 1/2 भाग पर वादीगण वक्त बुजुर्गान के समय से अर्थात प्रथम सेटलमेंट के समय मौके पर बांटकर काबिज काश्त चले आ रहे थे उक्त मौके के तत्कालीन बाहमी बंटवारानुसार नवीन ख० नं० 25, 61, 62 सम्पूर्ण पर वादीगण वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं परन्तु प्रथम सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा नोपा का बड़ा भाई रामल मृतक हनुता की मृत्यु के पश्चात अकेला परिवार का एक मात्र कर्ताधर्ता खानदान रहा। इसी वजह से तत्कालीन समय वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमियों की खातेदारी प्रथम सेटलमेंट के

— लगायत —

समय जब प्रथम जमाबंदी का सृजन किया उस समय अकेले प्रतिवादी के नाम नोपा का समस्त भाई प्रतिवादीगण के बुजुर्गान द्वारा शामिल शामलात के नाम सेटलमेंट कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में घोर लापरवाही करके कतई गलत एवं अवैध रूप से दर्ज कर दी गई जबकि वादग्रस्त भूमि के ½ भाग वादीगण का पैतृक हिस्सा तत्कालीन समय के राजस्व रेकॉर्ड में विधिनुसार दर्ज किया जाना चाहिए था जबकि वादीगण का मृतक पिता बिड़दू प्रथम सेटलमेंट के समय से जमीन ख०नं० 25, 61, 62 में वक्त बुजुर्गान के समय से खाम घर बनाकर परिवार सहित काबिज काश्त एवं आबाद चला आ रहा था। बिड़दू की मृत्यु के पश्चात वादीगण उक्त भूमियों में पुख्ता मकानात बनाकर परिवार सहित काबिज काश्त एवं आबाद चले आ रहे हैं, वादीगण के पिता ने प्रथम सेटलमेंट के समय से लेकर आज तक अपनी विधिक हिस्सा की भूमियों का लगान राज्य सरकार को वादीगण के पिता बिड़दू ने ही अदा किया है। इसलिए पुरानी खसरा गिरदावरियां सं० 2007 से 2019 व 2029 से 2033 में भी इन्ही ख०नं० में वादीगण के पिता बिड़दू पुत्र नोपा का नाम निरंतर दर्ज हुआ है। इसप्रकार वादग्रस्त भूमियां वादीगण की पैतृक भूमियां है जिनके विधिक हिस्सा के अनुसार वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। उक्त वर्णित भूमियों के वादीगण अपने विधिक हिस्सा पर वक्त बुजुर्गान के समय से अर्थात प्रथम सेटलमेंट से राज्य सरकार को बकायदा लगान अदा करते हुए खाम एवं पुख्ता मकान बनाकर परिवार सहित काबिज काश्त एवं आबाद चले आ रहे हैं तथा नवीन सेटलमेंट में जिस भू-भाग में वादीगण आबाद चले आ रहे थे उस भू-भाग के ख०नं० 61 को अलग नंबर डालकर दर्ज की गई है जिससे

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

— लगायत —

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण का किसी भी किस्म का कोई संबंध कभी नहीं रहा है लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादीगण को सख्त हक तलफी है। तथा वादीगण वक्त बुजुर्गान के समय से अर्थात प्रथम सेटलमेंट के समय से वादग्रस्त भूमियों के अपने पैतृक विधिक हिस्सा पर निरन्तर काबिज कारत एवं आबाद चले आ रहे हैं जो पुराने राजस्व रेकॉर्ड से भी साबित हैं। इसलिए वादीगण वादग्रस्त भूमियों का राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त करवा कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण वादग्रस्त भूमियों के राजस्व रेकॉर्ड को दुरुस्त करवाने के लिए कहते हैं तो पहले तो आश्वासन दे देते हैं लेकिन फिर टाल देते हैं परन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में फिर से बेईमानी आ गई है जो वादीगण की कब्जाकारत में मजाहमत करने की धमकी देते हैं तथा वादग्रस्त कृषि भूमियों के गलत राजस्व रेकॉर्ड की आड़ में वादीगण की पैतृक भूमियों से बेदखल कर वादग्रस्त भूमियों को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रहे हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार भी नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त पैतृक कृषि भूमियों का राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त करवाने के लिए कई बार कहा लेकिन वे आश्वासन देते रहे लेकिन दावा दायरी से अर्सा करीब 4-5 रोज पूर्व प्रतिवादीगण स्पष्ट इंकार हो गये कि वे वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकॉर्ड वादीगण के पक्ष में नहीं करवायेंगे तथा वादीगण की कब्जा कारत में मजाहमत करने एवं बेदखल करने की धमकी देने से वादकारण पैदा होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त आशय का दावा पेश होने पर दावा रिपोर्ट सरिश्ता होकर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण के

8

— लगायत —

तलबी जरिये सम्मन की गई। बावजूद सम्यक तामील प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नही आया। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात प्रकरण साक्ष्य के प्रक्रम पर रखा जाने पर वकील वादीगण द्वारा मुख्य परीक्षण हेतु PW1 ता PW4 के शपथ पत्र पेश किये गये। तदुपरान्त प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड, मुख्य परीक्षण बाबत पेश किये गये शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादीगण पर सगौर मनन किया गया। चूँकि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में अभिकथित कथनों का खण्डन करने हेतु प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आये हैं, जिससे प्रतिवादीगण की वादपत्र के प्रति मौन स्वीकृति परिलक्षित होती है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि:—

आदेश

तन ग्राम उदयपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 25, 61, 62 रकबा 2.72 हे. का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त ख.नं. से रहन बैंक हजक

का संबंधित पत्रकार के शीष ख०नं० पर बदस्तूर दर्ज किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री मूर्तिब हो। यह निर्णय आज दिनांक 03-09-19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/09/19

(महीपाल सिंह) RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner